

अध्याय III

सेवा कर का कम भुगतान

गलत स्वनिर्धारण, सेवा के मूल्य के छिपाव के कारण सेवा के कम भुगतान के कुछ उदाहरण, जिन्हें पूर्ववर्ती अध्यायों में शामिल नहीं किया गया है का निम्न पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है। इनमें ₹ 11.80 करोड़ का कुल राजस्व निहितार्थ है और मंत्रालय को 7 ड्राफ्ट पैराग्राफों के माध्यम से सूचित किया गया था। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 11.24 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ के 5 ड्राफ्ट पैराग्राफों की लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थी (दिसम्बर 2010 तक)।

3.1 गलत स्वनिर्धारण

16 जुलाई 2001 से, स्वनिर्धारण कार्यविधि की यांजना शुरू की गई थी जिसके अन्दर सेवा-कर के लिए दायी कोई व्यक्ति स्वयं सेवा कर का निर्धारण कर सकता है। इसके अतिरिक्त, उससे अपेक्षित है कि वह निर्धारित फार्म में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से सम्बद्ध अधीक्षक को आवधिक विवरणी प्रस्तुत करे। सत्यापन के प्रयोजन के लिए अधीक्षक कोई भी खाता, दस्तावेज़ या अन्य साक्ष्य, जो भी आवश्यक समझा जाये, निर्धारिती से मांगने के लिए समर्थ है।

चेन्नई सेवा कर कमिश्नरी में उत्थापन, चालू करने और प्रतिष्ठापन सेवा, वाण्टाज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवा, निर्माण कार्य करार सेवा आदि मुहैया कराने वाले में, बीजीआर एनर्जी सिस्टमज़ लिमिटेड की वर्ष 2007 -08 के दौरान सकल आय ₹1344.06 करोड़ थी। निर्धारिती ने ₹ 637.68 करोड़ के विविध लेनदारों का सकल आय से समायोजन किया और केवल ₹ 215.34 करोड़ को सभी सेवाओं के तहत कर-योग्य मूल्य मानते हुए सेवा कर का भुगतान किया। ₹ 491.04 करोड़ के अन्तर मूल्य का ब्यौरा उपलब्ध नहीं था और इस आय का स्वरूप और कर अदा न करने के कारण, हमें नहीं सूचित किये गये। हमने ₹ 9.74 करोड़ के सेवा कर के कम भुगतान के अनुमानित मूल्य की गणना और विभाग से कम उगाही की सही राशि की गणना करने को कहा।

जब हमने इंगित किया (फरवरी 2009), विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और बताया (दिसम्बर 2010) कि मामला डारेक्टर जनरल ऑफ सैन्ट्रल एक्साइज़ इन्टेलीजेन्स (डीजीसीईआई) को यह जांच करने के लिए भेजा गया है, कि क्या लेखापरीक्षा आपत्ति में कवर की गई अवधि से पहले की अवधि के लिए भी सेवा कर का कम भुगतान हुआ था और डीजीसीईआई के रिपोर्ट के आधार पर, कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2010)

3.2 संग्रहीत परन्तु जमा न किया गया सेवा कर

चण्डीगढ़-I कमिश्नरी में मै. गागल सीमेंट वर्कस, बरमाना, एसीसी यूनिट I और II (अध्याय/शीर्ष 2523.10/2523.29 के तहत क्लिंकर और सीमेन्ट के विनिर्माता) ने वर्ष 2007-08 के दौरान चालीस सेवा प्रदाताओं से ₹1441.41 लाख तक की सेवाएं प्राप्त की। हमने बिलासपुर रेंज में इन 40 सेवा प्रदाताओं द्वारा फाइल की गई एसटी-3 विवरणियां की जांच की और पाया कि इन्होंने ₹178.16 लाख के भुगतान-योग्य सेवा कर के प्रति केवल ₹98.74 का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹79.42 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जो व्याज एवं शास्ति के साथ वसूली-योग्य था।

जब हमने यह इंगित किया (मार्च 2009) तो विभाग ने बताया (अक्टूबर 2009) कि चूककर्ताओं को तत्काल सेवा कर जमा करने के लिए कहा गया था। यदि वे ऐसा करने में विफल रहे तो कारण बताओं नोटिस जारी किया जायेगा।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2010)।

3.3 अग्रिम भुगतान

वित्त अधिनियम 1994, की धारा 67(3) के अनुसार, प्रभार्य सकल राशि के लिए कर-योग्य सेवा में, कर-योग्य सेवा से पहले, उसके दौरान या ऐसी सेवा के प्रावधान के बाद, उसके लिए प्राप्त प्रत्येक राशि शामिल होनी चाहिए।

नोएडा कमिश्नरी में, एनटीपीसी के कोरबा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में अतिरिक्त लाइन बे के निर्माण के लिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) को मै. नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (कन्सलटिंग विंग), (एनटीपीसी) कन्सलटिंग इंजीनियर्स सेवाएं मुहैया करती थीं। एनटीपीसी और पावर ग्रिड के बीच करार के अनुसार एनटीपीसी को अतिरिक्त लाइन बे के डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति, आपूर्ति, निर्माण, उत्थापन, परीक्षण और चालू करने का कार्य जमा-कार्य के रूप में कार्यान्वित करना था। इस समग्र कार्य के लिए एनटीपीसी को पावर ग्रिड ने एनटीपीसी द्वारा किए गए वास्तविक व्यय जमा 19 प्रतिशत की दर पर एक समेकित अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करने की सहमति दी थी। 19 प्रतिशत का उपरिव्यय कन्सलटिंग इंजीनियरी सेवाओं के लिए था।

मै. एनटीपीसी ने पावर ग्रिड से ₹1062.61 लाख का भुगतान प्राप्त किया और उसे ₹201.90 लाख जोकि सेवा प्रभारों का उन्नीस प्रतिशत था के सेवा कर का भुगतान करना था उसने मात्र ₹128.63 लाख (₹201.90 लाख का ₹63.71 प्रतिशत) का सेवा कर इस आधार पर कि इसने प्राप्त ₹1062.61 लाख के भुगतान में से ₹677.03 लाख (63.71 प्रतिशत) का काम पूरा किया था का ही भुगतान किया। चूंकि राशि अग्रिम के रूप में पहले ही प्राप्त की गई थी अतः सेवाकर की समग्र राशि का भुगतान किया जाना था। अतः ₹73.27 लाख पर ₹19.78 लाख का अन्तरीय सेवा-कर वसूली योग्य था।

जब हमने यह इंगित किया (नवम्बर 2009), तो विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की (अक्टूबर 2010) और बताया कि एनटीपीसी ने उक्त प्रोजेक्ट, पावर ग्रिड कारपोरेशन

के लिए और उसकी बापत ऐजेन्ट के रूप में हाथ में लिया था। एनटीपीसी द्वारा ₹ 1062.61 लाख की प्राप्त राशि अग्रिम भुगतान के बजाय जमा (अग्रदाय धन) के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार कन्सैलटैन्सी सेवाओं पर सेवा कर कार्य के निष्पादन के वास्तविक मूल्य पर भुगतान -योग्य है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि करार के खण्ड 5.3.2 के अनुसार जमा कार्य के लिए पावर ग्रिड द्वारा अदा किये गये अग्रिम में उपरिव्यय प्रभारों का संघटक शामिल था। अतः उपरिव्यय (कन्सलटिंग इंजीनियर सेवा) प्रभार पर सेवा-कर अग्रिम प्राप्त करने के तत्काल बाद भुगतान -योग्य था। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 67 के तहत व्याख्या (ए) के अनुसार मुहैया की गई/या की जाने वाली कर-योग्य सेवाओं के लिए भुगतान योग्य राशि प्रतिफल में शामिल है और जब अग्रिम प्राप्त हो उसी समय सेवा-कर भुगतान योग्य है चाहे सेवा बाद में मुहैया की जाए।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था(दिसम्बर 2010)।

3.4 सकल कर-योग्य मूल्य में प्रतिफल का मूल्य न जोड़ना

धारा 67 के प्रावधानों के अधीन सेवा-कर नियमावली, (मूल्यों का निर्णय) 2006 के नियम 3 में प्रावधान है कि जहां प्रतिफल पूर्णरूप से या आंशिक रूप से धन के रूप से प्राप्त न हो, तो सेवा प्रदाता द्वारा प्रतिफल निम्न तरीके से निर्णीत करना चाहिए: -

(क) इस प्रकार की कर-योग्य सेवा का मूल्य, सेवा प्रदाता द्वारा सामान्य व्यापार के मामले में, किसी अन्य व्यक्ति को मुहैया कराई गई समान सेवा के लिए प्रभारित सकल राशि के बराबर होगा और प्रभारित सकल राशि पूरा प्रतिफल है।

(ख) जहां खण्ड (ए) के अनुसार मूल्य निर्णीत नहीं किया जा सकता हो तो सेवा प्रदाता को ऐसे प्रतिफल का बराबर धन मूल्य ऐसे निर्णीत करना चाहिए, कि किसी भी सूरत में मुहैया की गई इस प्रकार की कर-योग्य सेवा की मात्रा की लागत से कम न हो।

सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 2 (1) (डी) (iv) में अनुबद्ध है कि किसी ऐसे व्यक्ति जो अनिवासी हो या भारत से बाहर का हो और उसके पास भारत में कार्यालय नहीं है, द्वारा मुहैया कराई गई कर-योग्य सेवा के सम्बन्ध में भारत में प्राप्तकर्ता व्यक्ति कर-योग्य सेवा के लिए सेवा कर अदा करने के लिए दायी है।

3.4.1 मुम्बई (एसटी) कमिश्नरी में बुद्धिजीवी सम्पत्ति सेवाएं और प्रबन्धन परामर्श सेवाओं के अधीन रजिस्ट्रीकृत मै. जुहू बीच रिज़ाटस इण्डिया लिमिटेड ने, मै. मेरियट वर्ल्डवायड कॉरपोरेशन, यूएसए को अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2006 के दौरान टेलीफोन प्रभार, केन्द्रीय आरक्षण प्रभार, मोबाइल प्रभार, मेल प्रभार आदि के खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 346.64 लाख अदा किये। तथापि यह राशि सेवा -कर अदा करने के लिए सकल राशि में शामिल नहीं की गई। अतः कर-योग्य सेवा इस प्रतिफल से कम-निर्धारित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 42.43 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2008), विभाग ने मान लिया (जून 2008) कि निर्धारिती खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए यूएस कंपनी को अदा की गई राशि के लिए सेवा -कर के लिए दायी था। आगे हुई प्रगति प्रतीक्षित है।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2010)।

3.4.2 वित्त अधिनियम ,1994 की धारा 67 के अनुसार किसी भी कर-योग्य सेवा का मूल्य सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित राशि होना चाहिए।

हैदराबाद-II कमिश्नरी में प्रदर्शनी सेवाएं मुहैया कराने वाली मै.एक्ज़िबिशन सोसाइटी हैदराबाद ने प्रदर्शनीकर्ताओं को विद्युत और प्रकाश -व्यवस्था की सुविधा मुहैया कराने के लिए 2006-07 से 2008-09 की अवधि के दौरान ₹ 2.88 करोड़ प्राप्त किये। तथापि सेवा-कर दायिता चुकाते हुए निर्धारिती ने यह राशि सेवा के मूल्य में शामिल नहीं की। इसके परिणामस्वरूप सेवा का अवमूल्यन हुआ और ब्याज के अलावा ₹ 35.49 लाख के सेवा कर का परिणामी कम-भुगतान हुआ।

हमने विभाग को मार्च 2010 में यह इंगित किया, उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2010)।

3.5 सड़क मार्ग से माल की ढुलाई

जनवरी 2005 से सड़क मार्ग से माल की ढुलाई पर सेवा कर लगाया जाता है। सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2(1) (डी)(V) के अनुसार यदि माल की ढुलाई करने वाला परेषक या परेषिती संगठित सैक्टर से है तो माल भाड़े के लिए भुगतान करने वाला व्यक्ति जीटीए की सेवाओं पर सेवा-कर अदा करने के लिए दायी है।

हैदराबाद III कमिश्नरी में एमएस टावर और उसके पार्ट के विनिर्माण में लगे मै. मानी इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड चरलापाली ने 2006-07 और 2008-09 की अवधि के बीच आवक और जावक मालभाड़े के लिए ₹ 8.86 करोड़ का व्यय किया। तथापि, निर्धारिती ने केवल ₹ 6.31 करोड़ पर सेवा -कर अदा किया। इसके परिणामस्वरूप शेष ₹ 2.55 करोड़ पर भुगतानीय ₹ 7.80 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ, जो ब्याज सहित वसूली -योग्य है।

जब हमने यह इंगित किया (दिसम्बर 2009), तब विभाग ने आपत्ति स्वीकार की और बताया (जून 2010) कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2010)।

3.6 वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवा

तिरुचिरापल्ली कमिश्नरी में वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवा मुहैया कराने वाले मै. एनएसके बिल्डर्स, त्रिची ने ₹ 73.86 लाख की कर दायिता के प्रति अगस्त 2007 और जनवरी 2008 में ₹ 53.04 लाख का सेवा -कर अदा किया। निर्धारिती ने बताया बाकी अप्रैल से जून 2007 के दौरान अदा किया गया था। सुसंगत चालानों की संवीक्षा से हमने पाया कि वास्तव में ये अन्य भुगतानों से सम्बन्धित थे और अप्रैल से जून 2007 की अवधि से सम्बन्धित नहीं थे। इसलिए ₹ 20.82 लाख के सेवा कर का कम भुगतान किया गया था जो ब्याज सहित वसूली -योग्य था।

जब हमने इंगित किया (सितम्बर 2009), विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और बताया (अप्रैल 2010) कि कारण बताओ नोटिस का प्रारूप जारी किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।